कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया (म0प्र0)

क्रमांक–क्यू/स्टेशनरी/14–4/01/2017 दतिया, दिनांक 6/04/2017

//विज्ञापन//

जिला दतिया के अंतर्गत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों के उपयोग में लगने वाली (लेखन सामग्री) स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री वित्तीय वर्ष 2017–18 अनुबंध दिनांक 31.03.2018 तक के लिये खुले बाजार से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले संबंधित फर्म/मैसर्स से शीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं रोजगार विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रं 6–8/3/11 अ दिनांक 19.02.2003 केद्वारा भण्डार क्रय नियम में संशोधन अनुसार निर्धारित की गई दरों पर शासन निर्देशानुसार 30 प्रतिशत सामग्री एस.सी/एस.टी के उद्यमियों से अनिवार्य रूप से क्रय करना सुनिश्चित किया गया है।

शासकीय कार्यालयों में संभावित उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की सूची अनुसार सामग्री/आयटम के समक्ष दर्शित कंपनी की दरें अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त निविदा दिनांक 27-4-17 तक दोपहर 3.00 बजें तक बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा निविदादाता स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर पेश की जा सकेगी जो दिनांक 27-4-17 को ही तत्काल दोपहर 3.00 बजें तक समिति एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के साथ 5000/– रूपये की एफ.डी. अमानत राशि जो कलेक्टर जिला दतिया के नाम से देय होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी। सामग्री एवं आयटम की सूची कार्यालय से प्रकाशन उपरांत कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की अन्य शर्तें:–

1. निविदा की सामग्री की दर प्रति नग, प्रति रिम, प्रति किलो आदि जैसी भी स्थिति हो निविदा सूची अनुसार दर्शाया जावे। निविदा सामग्री की दर सूची के क्रमानुसार अंकित होना आवश्यक है।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय स्टेशनरी शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
3. सामग्री का मांग आदेश जारी होने पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराना होगी।
4. निविदा सामग्री की दर स्वीकृत एवं मांग आदेश जारी होने के पश्चात समय सीमा में सामग्री प्रदान न करने व निर्धारित कम्पनी की सामग्री प्रदाय न करने की दशा में आदेशित सामग्री अन्यत्र खुले बाजार से क्रय की जा सकेगी। उसमें से जो अधिक व्यय/हानि होगी व राशि निविदा की अमानत राशि से अथवा राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी तथा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।
5. सेम्पल पेपर (10 शीट्स) जमा करनी होगी। सेम्पल पर हस्ताक्षर करना होगा।

6. निविदादाता द्वारा दी गई सभी दरें कर युक्त होना अनिवार्य है। फर्म पंजीकृत हो तथा फर्म का सेल्स टैक्स का टिन नंबर तथा इन्कम टैक्स का पिन नंबर एवं वर्ष 2015–16 की इनकम टैक्स अस्सिमेंट देना अनिवार्य है। निविदादाता की टिन नंबर एवं पिन नंबर व अस्स्मिंट की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। वेट कर भी देय होगा।
7. निविदा के साथ 5000/– रू. (रूपये पांच हजार मात्र) अमानत राशि (एफ.डी) जमा कराये बगैर निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
8. क्रय की गई सामग्री का भुगतान शासन निर्देशानुसार आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा। निविदा दाता द्वारा दी जाने वाली समय–सीमा में भुगतान संबंधी शर्त पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को जाति प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र (उद्योग विभाग से प्राप्त) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. वर्क्स डिपाटमेंट द्वारा संबंधित माप पुस्तिका कें अलग–अलग पृष्ठों की अलग–अलग दरें दी जावें।

अपर कलेक्टर
जिला दतिया म0प्र0